(1)

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण **पर्यवेक्षक** 2020-21 डेफर्ड				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दू संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0									

विभाग में चयन वर्ष 2020–21 में पर्यवेक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध दिनांक 09.09.2020 को मूल डीपीसी का आयोजन किया जाकर 64 रिक्त पदों के विरूद्ध 57 कार्मिकों को पदोन्नति दी जाकर 2 पदों को आस्थगित रखा गया एवं 5 पद अनारक्षित श्रेणी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखे गए।

आस्थगित रखे जाने का विवरण निम्नानुसार है–

पात्रता सूची में निम्नांकित अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक विभाग से आरक्षण का कोटा पूर्ण हो जाने के कारण एवं पात्रता सूची में अनारक्षित श्रेणी का कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नति दिए जाने के संबंध में राय प्राप्त होने तक इनका आस्थगित रखा जाता है–

क्र.सं.	पात्रता सूची क्रमांक	नाम कर्मचारी	वर्ग	कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 597 दि. 16.08.2002 एवं आदेश 795 दिनांक 25.11.2009 में वरिष्ठता क्रमांक
1.	62	श्री बनय सिंह मीणा	अजजा	231
2.	63	श्री धनपाल मीणा पुत्र श्री नानगराम	अजजा	232

उक्त दोनो डेफर्ड पदों के लिए दिनांक 28.09.2021 को आयोजित डेफर्ड डीपीसी का आयोजन किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

दिनांक 09.09.2020 को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध मूल डीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया। समिति द्वारा पात्रता की विचारण सीमा में आने वाले सभी राजसेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेख का अवलोकन/परीक्षण उपरान्त 57 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों

...युक्त निदेशक (संस्थापन)
...यी निधि विभाग

(2)

<table>
<tr><th colspan="2">पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)</th><th></th><th colspan="4">की गई भर्ती का विवरण
पर्यवेक्षक</th><th colspan="2">अग्रेषित आरक्षण</th><th>नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर</th><th>विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)</th></tr>
<tr><th>अ.जा.</th><th>अ.ज.जा.</th><th>भर्ती का वर्ष</th><th>रोस्टर एवं बिन्दू संख्या</th><th>क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है</th><th>नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि</th><th>क्या अ.जा./ अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे</th><th>अ.जा.</th><th>अ.ज.जा.</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="8">का पर्यवेक्षक के पद पर चयन किया गया तथा पात्रता सूची में अन्य कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनारक्षित श्रेणी के 5 पद रिक्त रखे गये एवं पात्रता सूची में अनारक्षित श्रेणी का कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अभ्यांश 12% पूर्ण हो जाने पर भी अनारक्षित पद के विरूद्ध श्री बनय सिंह मीणा, अजजा एवं श्री धनपाल मीणा, अजजा के अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से राय प्राप्त होने तक इनकी पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रकरण आस्थगित रखा गया।
प्रकरण में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग का पत्रांक 10(10) वित्त/बीमा/2020 दिनांक 19.03.2021 द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.09.2013 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.09.2013 की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है, जिसमें निम्नांकित दिशा–निर्देश प्राप्त है :–
i. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में होगा।
ii. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement लागू होगा तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा। 8 या 8 से कम पदकी स्थिति में Theory of replacement लागू नहीं होगा वरन कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 के अनुसार एल शेप रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही होगी।
iii. परन्तु यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority)का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उस पदोन्नत नहीं करने पर, उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा। किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जावेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है, तो उसे क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा।</td><td></td></tr>
</table>

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
... एवं प्रावधायी निधि विभाग

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण **पर्यवेक्षक**				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दू संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11

iv. सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मेरिट के आधार पर। यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो।

v. यदि उपरोक्त प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तथा केडर में पद कम हो, तो कैडर को संतुलित (Balance) करने की दृष्टि से अतिरिक्त पद की सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जा सकते हैं, किन्तु यह स्पष्ट है कि सेवा में प्रवेश के समय का पात्र वरिष्ठ राजसेवक पहले पदोन्नत होगा तथा वरिष्ठता भी उसी की रहेगी।

उक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement लागू होगा तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा एवं यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उस पदोन्नत नहीं करने पर, उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा।

उक्त विवरणानुसार वर्ष 2020–21 में श्री बनय सिंह मीणा एवं श्री धनपाल मीणा अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण हो जाने पर भी अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किये जाने के संबंध पदोन्नति आस्थगित रखे जाने एवं कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट होते हैं :–

i. चयन वर्ष 2020–21 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण हो गया है। नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
... निधि विभाग

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग)			की गई भर्ती का विवरण **पर्यवेक्षक**				अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा.	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दू संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./ अ.ज.जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

लागू होगा तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा।

ii. उक्त कार्मिक पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लेकर अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों से वरिष्ठ है।

iii. उक्त कार्मिकों से कनिष्ठ अनारक्षित श्रेणी के कार्मिक पदोन्नत नहीं हो रहे हैं उक्त कार्मिक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों से कनिष्ठ है।

अतः समिति कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त उक्त राय के अनुसरण में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में श्री बनय सिंह मीणा एवं श्री धनपाल मीणा अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण हो जाने एवं इनसे कनिष्ठ अनारक्षित श्रेणी के कार्मिक पदोन्नत नहीं होने के कारण इन्हें पदोन्नति हेतु विचार नहीं किए जाने की अभिशंषा करती है एवं दिनांक 09.09.2020 को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाकर पात्रता सूची में अनारक्षित श्रेणी के अन्य कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनारक्षित श्रेणी के 5 पदों के स्थान पर 7 पद रिक्त रखे गए।

Sd/-

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर